महाराष्ट्र राज्य

बनाम

शंकर गणपति रहाटोल और अन्य

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 799)

31 जनवरी, 2019

[न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 378 (3) - उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने की अनुमति - ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 143, 147, 323 के साथ धारा 149, 325 और बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत आरोपियों को बरी कर दिया - उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 378 (3) के तहत राज्य के आवेदन को खारिज कर दिया गया था - बरी करने के आदेश के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा पुनरीक्षण याचिका भी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी । माना गया: धारा 378 (3) के तहत आवेदन को अस्वीकार करने का कारण रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के विपरीत था - रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला इंगित करती है - यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी अपील करने की अनुमति देने के लिए एक उपयुक्त मामला है कि उसी घटना से संबंधित एक क्रॉस-शिकायत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में लंबित है - उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश धारा 378 (3) के तहत आवेदन को खारिज करना - शिकायतकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं - तदनुसार, मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया गया, ताकि आपराधिक पुनरीक्षण को अपने गुण-दोष के आधार पर तय किया जा सके - दंड संहिता 1860 - धारा 143, 147, 323 के साथ 149, 325 - बॉम्बे पुलिस अधिनियम - धारा 135।

अपीलों का निपटारा करते हुए, अदालत ने कहा:

1.1 अपील की अनुमति के आवेदन को अस्वीकार करने का कारण रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के विपरीत था। किसी भी स्थिति में, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करने के बाद, प्रथम दृष्टया, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 06-05-2005 के निर्णय और आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए अनुमति देने के लिए राज्य द्वारा एक मामला बनता है। [पैरा 5] [1032-एफ]

1.2 उसी तारीख की घटना के संबंध में गांव के अन्य गुट द्वारा एक क्रॉस शिकायत भी की गई थी, जिसके आधार पर एक मामला दर्ज किया गया था और आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 307, 324, 427, 504, 395, 325, 337, 452 के साथ 149, 325 के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था और दोषी ठहराया गया था। उस निर्णय के विरुद्ध अधिमान्य अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। चूंकि गांव के दो समूहों ने क्रॉस शिकायतें दायर की हैं और एक से उत्पन्न अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। यह छुट्टी देने के लिए उपयुक्त मामला है। [पैरा 6] [1032-जी-एच; 1033-ए]

1.3 उपर्युक्त कारण से इस अपील को स्वीकार किया जाता है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (3) के तहत अपील करने की अनुमति को अस्वीकार करने वाले दिनांक 13.06.2008 के आक्षेपित आदेश को

निरस्त किया जाता है। नतीजतन, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है। ट्रायल कोर्ट में बरी किए जाने को चुनौती देने वाली राज्य द्वारा पसंद की गई आपराधिक अपील को फाइल पर लिया जाएगा। [पैरा 7] [1033-बी]

महाराष्ट्र राज्य बनाम सुजय मंगेश पोयारेकर (2008) 9 एससीसी 475: [2008] 13 एससीआर 750 - संदर्भित।

2.1 इस न्यायालय का विचार है कि चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (3) के तहत आपराधिक आवेदन में उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को राज्य द्वारा दायर अपील में पहले ही रद्द कर दिया गया है, इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा दायर संशोधन को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 11] [1033-एफ]

2.2 तदनुसार, आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन में उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया जाता है, ताकि आपराधिक पुनरीक्षण का निर्णय अपनी योग्यता के आधार पर किया जा सके। [पैरा 12] [1033-एफ-जी]

केस कानून संदर्भ

[2008] 13 एससीआर 750 पैरा 4 को संदर्भित किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2010 की आपराधिक अपील संख्या 799।

2006 के आपराधिक आवेदन संख्या 4504 में बॉम्बे में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के दिनांक 13.06.2008 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2010 की आपराधिक अपील संख्या 798, 800 और 2019 की 197।

विनय नवरे, प्रवीण सताले, राजीव शंकर द्विवेदी, सुश्री दीपा एम कुलकर्णी, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, सुशील करंजकर, केएन राय, पेश पक्षों के वकील।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी द्वारा सुनाया गया था:

1. महाराष्ट्र राज्य ने 2006 के आपराधिक आवेदन संख्या 4504 में बॉम्बे में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय द्वारा पारित 13.06.2008 के आदेश से असंतुष्ट इस अपील को प्राथमिकता दी है।

2. 01.09.1998 को शिवराम नामक व्यक्ति द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसे पीडब्ल्यू 1 के रूप में जांच की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 29.08.1998 को लगभग 9 बजे वह कलम्मा दूध डेयरी में बैठकर हनुमान जल आपूर्ति सोसायटी में काम कर रहा था। उस समय लाउड स्पीकर बंद था। जब वह दूध डेयरी से बाहर आया तो पता चला कि मट्ठा लाउड स्पीकर बंद है, तो उसने आनंद गणपति रतोल, शंकर गणपति रतोल, यशवंत श्रीपति रतोल, शिवाजी बापू खोट, रंगराव पिराजी अंगज, शंकर गानू मेतिल, समाधान शंकर मेटिल, दामोदर तुकाराम राउत, रमेश दामोदर ताउत, दत्तात्रेय वसंत रतोल, बाबूराव दत्तात्रेय रातोल, बाबूराव जयसिंह रातोल, गणपति कृष्ण पोवार को पाया। हनुमंत कृष्णा पोवार और अन्य व्यक्ति उनकी ओर आ रहे थे और उन्होंने उन पर हमला किया और उन पर हमला किया। उक्त हमले में, उन्होंने कहा

कि वह घायल हो गए थे और अस्पताल में भर्ती थे। इसके बाद, ठीक होने के बाद, उन्होंने 01.09.1998 को शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर एफआईआर नंबर 1165/1998 दर्ज की गई। दर्ज शिकायत के आधार पर, जांच की गई और प्रतिवादियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 323 के साथ 149, 325 और बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाए गए। आरोप पत्र दायर होने के बाद, मामले की सुनवाई कोल्हापुर के 5 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा की गई थी। दिनांक 06-09-2005 के निर्णय द्वारा सभी अभियुक्तों को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया था।

3. अपीलकर्ता-राज्य ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 (3) के तहत विचारकिए गए अपील को प्राथमिकता देने की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया है, जिसे 2006 के आपराधिक आवेदन संख्या 4504 के रूप में क्रमांकित किया गया था। उपर्युक्त आवेदन दिनांक 13-06-2008 के आक्षेपित आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और उच्च न्यायालय ने अपील करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। इसलिए राज्य द्वारा यह अपील की गई है।

4. हमने राज्य के विद्वान वकील के साथ-साथ प्रतिवादियों-अभियुक्तों की ओर से पेश हुए वकीलों को सुना है और 13.06.2008 के आदेश और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री का अवलोकन किया है। मामले के समर्थन में, अपीलकर्ता-राज्य के वकील द्वारा महाराष्ट्र राज्य बनाम सुजय मंगेश पोयारेकर के मामले में फैसले पर भरोसा किया जाता है, जैसा कि (2008) 9 एससीसी 475 में बताया गया है। उपरोक्त निर्णय में, धारा 378 (3), दंड प्रक्रिया संहिता के दायरे पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया है। उपरोक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ 20 और 21 निम्नानुसार हैं:

> "20. हालांकि, हमारी राय में, इस सवाल पर फैसला करने में कि अपेक्षित छुट्टी दी जानी चाहिए या नहीं, उच्च न्यायालय को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है या विचारणीय बिंदु उठाए गए हैं और यह नहीं कि बरी करने का आदेश रद्द किया जाएगा या नहीं।
>
> 21. इसे सार्वभौमिक अनुप्रयोग के कानून के सार प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगने वाली प्रत्येक याचिका को अपीलीय अदालत द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए और प्रत्येक अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। लेकिन अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का बारीक विवरण और यह देखते हुए छुट्टी से इनकार करना कि निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के फैसले को "विकृत" नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, कोई छुट्टी नहीं दी जानी चाहिए।

5. इसके अलावा, हमने आक्षेपित आदेश से देखा है कि आवेदन को खारिज करते समय, उच्च न्यायालय ने कहा है कि चिकित्सा साक्ष्य शिकायतकर्ता की पीठ या जांघ पर किसी भी चोट का संकेत नहीं देते हैं। हालांकि, रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से, ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश में उक्त, पाया गया निष्कर्ष रिकॉर्ड पर चिकित्सा साक्ष्य के विपरीत है। डॉ. यशवंत, जिनकी जांच पीडब्ल्यू 5 के रूप में की गई थी, ने अपनी गवाही में स्पष्ट रूप से कहा कि शिकायतकर्ता शिवराम के बाएं टिबिया की हड्डी टूट गई थी और घाव भी थे। चिकित्सा साक्ष्य दस्तावेजों को प्रदर्शन 121 और 131 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। अपील की अनुमति के आवेदन को खारिज करने का कारण रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के विपरीत है। किसी भी स्थिति में, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करने के बाद, हमारा विचार है कि, प्रथम दृष्टया, राज्य द्वारा 2000 के

सत्र मामले संख्या 140 में कोल्हापुर के सातवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 06.05.2005 के निर्णय और आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने के लिए एक मामला बनता है।

6. हमें यह भी सूचित किया गया है कि उसी तारीख की घटना के संबंध में गांव के दूसरे गुट द्वारा एक क्रॉस शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर एक मामला दर्ज किया गया था और उसमें आरोपियों पर सत्र मामला संख्या 83/1999 में मुकदमा चलाया गया था। आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 307, 324, 427, 504, 395, 325, 337, 452 के साथ 149, 325 के तहत दोषी ठहराया गया था। यह कहा गया है कि उस निर्णय के खिलाफ वरीयता प्राप्त अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। जैसा कि यह कहा गया है कि गांव के दो समूहों ने क्रॉस शिकायतें दायर की हैं और एक से उत्पन्न अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, हमारा विचार है कि यह अपीलकर्ता-राज्य द्वारा अनुरोध के अनुसार छुट्टी देने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

7. उपर्युक्त कारण से इस अपील को स्वीकार किया जाता है और दिनांक 13.06.2008 के आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है। नतीजतन, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है। 2000 के सत्र केस नंबर 140 में बरी किए जाने को चुनौती देने वाली राज्य द्वारा पसंद की गई आपराधिक अपील को फाइल पर लिया जाएगा।

8. संबंधित पक्षों द्वारा उठाए गए विवाद की सराहना करते हुए, हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह इस आदेश के साथ-साथ 2005 की आपराधिक अपील संख्या 849 के संदर्भ में अपील पर एक साथ विचार करे और उस पर शीघ्रता से निर्णय ले।

2019 की आपराधिक अपील संख्या 197 [2010 के एसएलपी (सीआरएल) संख्या 3359 से उत्पन्न]

9. अपील की अनुमति दी गई।

10. शिकायतकर्ता ने 2000 के सत्र केस नंबर 140 में पारित बरी करने के आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष 2006 का आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 119 दायर किया है। इसे 2006 के आपराधिक आवेदन संख्या 4504 में पारित आदेश के आधार पर खारिज किया जाता है।

11. हमारा विचार है कि चूंकि 2006 के आपराधिक आवेदन संख्या 4504 में आक्षेपित आदेश को इस न्यायालय द्वारा राज्य द्वारा दायर अपील में पहले ही रद्द कर दिया गया है, इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है।

12. तदनुसार, 2006 के आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 119 में दिनांक 21.01.2010 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया जाता है, ताकि आपराधिक पुनरीक्षण का निर्णय अपनी योग्यता के आधार पर किया जा सके।

13. उपर्युक्त अपीलों में पारित आदेश के मद्देनजर, यह कहा जाता है कि इन अपीलों में आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, इन अपीलों का निपटान भी कर दिया गया।

अपीलें निस्तारित।

इला देओल, एडवोकेट